बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 167 ● नई दिल्ली ● शुक्रवार 17 अप्रैल 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन
बी-2/370, सुल्तानपुरी
दिल्ली-86

केजरीवाल की सुनवाई में नया मोड़ - कोर्ट ने एडिशनल एफिडेविट रिकॉर्ड पर लिया, सीबीआई को रैजाइंडर दाखिल की अनुमति

दिल्ली । पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई में शामिल हुए। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांत शर्मा ने इस मामले की सुनवाई शुरू की। केजरीवाल ने अपना एक अतिरिक्त हलफनामा रिकॉर्ड पर लेने का अनुरोध किया। अदालत ने उनके अतिरिक्त हलफनामे को रिकॉर्ड पर ले लिया। सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस पर जवाब दाखिल करने की बात कही। केजरीवाल ने व्यक्तिगत रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत से कहा कि वे सीबीआई के जवाब पर अपना उत्तर दोबारा दाखिल करेंगे। न्यायमूर्ति ने सीबीआई को अपना जवाब केजरीवाल को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

संविधान में संशोधनों पर प्रधानमंत्री की अपील- इस अवसर को जाने न दें, इस मंथन से अमृत निकलेगा

नई दिल्ली । संसद के विशेष सत्र के दौरान आज लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण विधेयक यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम खुशकिस्मत हैं कि हम इस पल के साक्षी बनने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा यकीन है कि इस मंथन से अमृत निकलेगा और यह मंथन देश की दिशा और दशा तय करेगा। पीएम मोदी ने कहा कि आज देश के लिए महत्वपूर्ण दिन है। यह 20-25 वर्ष पहले हो जाना चाहिए था, समय-समय पर इसमें सुधार होते रहते। सदन के सभी साथियों को यह अवसर मिला है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि राष्ट्र के जीवन में कुछ बड़े पल आते हैं, उस समय समाज की मनोस्थिति एक मजबूत धरोहर तैयार कर देती है। मैं समझता हूं कि संसद के इतिहास में ये वैसे ही पल हैं। जरूरत महसूस हुई होती तब इसे लागू कर देते और आज तक इसे परिपक्वता तक पहुंचा देते। हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी रहे हैं। हमारी हजार वर्ष की विकास यात्रा रही है।

जो विरोध करेंगे उन्हें कीमत चुकानी पड़ेगी – पीएम मोदी

प्रधानमंत्री ने कहा कि राजनीतिक जीवन में जो लोग सफलतापूर्वक आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें यह मानकर चलना पड़ेगा कि पिछले 25 से 30 वर्ष में ग्रासरूट लेवल यानी जमीनी स्तर पर महिलाएं लीडर बन चुकी हैं। अब उनके अंदर सिर्फ यहां 33 फीसदी का सामर्थ्य नहीं है, बल्कि वे आपके फैसलों को भी प्रभावित करने वाली हैं। इसलिए जो आज विरोध करेंगे, उन्हें लंबे समय तक इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। राजनीतिक समझदारी इसी में है कि हम जमीनी स्तर पर महिलाओं की जो राजनीतिक लीडरशिप खड़ी हुई है, उसे संदर्भ में लें।

पीएम मोदी बोले- मेरे लिए संविधान ही सर्वोपरि है

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आप महिलाओं की समझदारी पर भरोसा करो। उन्हें निर्णय लेने दो कि किस वर्ग को आरक्षण देना है, किस वर्ग को नहीं। उन्हें आने तो दो। मैं अति-पिछड़े समाज से आता हूं। संविधान ने मुझे यही रास्ता दिखाया है। मेरे लिए संविधान ही सर्वोपरि है। यह संविधान की ही ताकत है जिसने मुझे यहां तक आने का मौका दिया है। मैं संविधान निर्माताओं का ऋणी हूं। इतना बड़ा सामर्थ्य है, उसे हम हिस्सेदारी से रोकने के लिए क्यों इतनी ताकत खपा रहे हैं? उन्होंने कहा कि उनके जुड़ने से सामर्थ्य बढ़ने वाला है। इसे राजनीति के तराजू से मत तौलिए। इस मामले को राजनीतिक रंग देने की जरूरत नहीं है। हमारे सामने यह अवसर एक साथ बैठकर एक दिशा में सोचकर विकसित भारत बनाने में हमारी नारी शक्ति को खुले मन से स्वीकार करने का अवसर है। आज पूरा देश और नारी शक्ति यह निर्णय तो देखेगी ही, लेकिन इससे यादा हमारी नीयत को देखेगी। इसलिए हमारी नीयत की खोट देश की नारी शक्ति कभी माफ नहीं करेगी।

2023 में सभी ने अधिनियम को स्वीकार किया था

प्रधानमंत्री ने कहा कि 2023 में इस नए सदन में हमने सर्वसम्मति से

इस अधिनियम को स्वीकार किया था। पूरे देश में खुशी का वातावरण बना। उसमें कोई राजनीतिक रंग नहीं लगा, यह अच्छी चीज है। अब सवाल यह है कि हमें कितने समय तक इसे रोकना है? जो लोग यहां आबादी का विषय उठाते हैं, अमित शाह अपने भाषण में इसका जिक्र करेंगे कि हमने जनगणना के लिए क्या-क्या किया है? ये बातें हम रखेंगे। लेकिन जब हम 2023 में चर्चा कर रहे थे, तब इसे जल्दी लागू करने की बात कर रहे थे, लेकिन कम समय में यह करना मुश्किल था। अब 2029 में यह किया जा सकता है। अब अगर 2029 में यह संभव नहीं होगा, तो हम माता-बहनों में यह विश्वास नहीं बना पाएंगे कि यह संभव भी है। उन्होंने कहा कि जब मैं संगठन का एक कार्यकर्ता था, तब चर्चा होती थी कि देखिए ये कैसे लोग हैं, पंचायतों में आरक्षण आराम से दे देते हैं क्योंकि उन्हें वहां अपना पद जाने का डर नहीं लगता है। हम सुरक्षित हैं, इसलिए दे दो। इसलिए पंचायत में आरक्षण 50 प्रतिशत तक पहुंच गया। मैं एक और बात कहता हूं कि जिसने 30 साल पहले इसका विरोध किया, वह राजनीतिक गलियारों से नीचे नहीं गया, लेकिन जमीनी स्तर पर आज वही बहनें मुखर हैं। लाखों बहनें जो काम कर चुकी हैं, वे आज मुखरित हैं। वे कहती हैं कि हमें निर्णय प्रक्रिया में जोड़ो, जो संसद में होती है।

परिसीमन प्रक्रिया किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगी

इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने यह भी कहा कि हमारी एक्टिविस्ट और संविधान के जानकारों से बात हुई। यहां बैठकर हमारे संविधान ने किसी को टुकड़ों में सोचने का अधिकार नहीं दिया। एक राष्ट्र के रूप में विचार करना हमारा दायित्व है। चाहे कश्मीर हो या कन्याकुमारी, हम एक साथ सोच सकते हैं और एक साथ निर्णय ले सकते हैं। सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए बवंडर खड़ा किया जा रहा है। मैं इस सदन से कहना चाहता हूं कि चाहे दक्षिण हो या उत्तर, छोटे राय हों या बड़े राय, परिसीमन प्रक्रिया किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगी। यह निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ अन्याय नहीं करेगी। जिनके कालखंड में जो परिसीमन हुआ, वह अनुपात उनके समय से चला आ रहा है और उस अनुपात में भी कोई बदलाव नहीं होगा। अगर गारंटी कहिए तो मैं गारंटी देता हूं, वादे की बात करें तो वादा करता हूं। जब नीयत साफ है तो हमें शब्दों का खेल करने की जरूरत नहीं है।

हम उस अहंकार में न रहें कि हम देश की नारी शक्ति को कुछ दे रहे

पीएम ने कहा कि कुछ लोगों को लगता है कि इसमें मोदी का राजनीतिक स्वार्थ है। इसका अगर विरोध करेंगे तो स्वाभाविक बात है कि राजनीतिक लाभ मुझे होगा। लेकिन साथ चलेंगे तो किसी को भी नहीं होगा, यह लिखकर ले लो। क्योंकि इसका अलग पहलू हो जाता है। हमें क्रेडिट नहीं चाहिए। जैसे ही यह पारित हो जाए। मैं सबका आभार प्रकट करने के लिए तैयार हूं। ले लो क्रेडिट। हम सरकारी खर्चे से जिसकी फोटो आप (विपक्ष) कहेंगा उसकी फोटो छपवा देंगे। सामने से क्रेडिट का प्लान चेंज। आपको दे रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि हम भ्रम में न रहें, हम उस अहंकार में न रहें कि हम देश की नारी शक्ति को कुछ दे रहे हैं। जी नहीं। यह उसका हक है। हमने कई दशकों से उसे रोका है। आज उसका प्रायश्चित कर के उस पाप से मुक्ति पाने का यह मौका है।

हमारे देश में अनुभवी नारी शक्ति की कोई कमी नहीं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह निर्णय भारत का कमिटमेंट है, सांस्कृतिक कमिटमेंट है। इसी कमिटमेंट के कारण पंचायतों में यह व्यवस्था बनी। हमारे देश में अनुभवी नारी शक्ति की कोई कमी नहीं है। सामर्थ्य में कोई कमी नहीं है। वे अच्छा योगदान देंगी। जितनी हमारी बहनें हैं, उन्होंने बहुत अच्छे काम से सदन को समृद्ध किया है। देश में वर्तमान में 650 से यादा पंचायतें हैं। करीब पौने तीन सौ महिलाएं इसमें योगदान दे रही हैं। 2700 ब्लॉक पंचायत ऐसी हैं, जिनका नेतृत्व महिलाओं के हाथ में है। शहरों में मेयर हो या स्टैंडिंग कमेटी का काम देखने वाली महिलाएं। जब यह अनुभव सदन के साथ जुड़ेगा तो यह अनेक गुना ताकत बढ़ा देगा। एक लंबी प्रतीक्षा के बाद यह अवसर है कि हम पुरानी मर्यादाओं से बाहर निकलें और हिम्मत के साथ आगे बढ़ें और नारी शक्ति की सहभागिता को सुनिश्चित करें।

काला टीका लगाने के धन्यवाद- पीएम मोदी

पीएम ने अपील की कि इसे सर्व सहमति से आगे बढ़ाना चाहिए। सर्वसम्मति से जब हम आगे बढ़ते हैं तो ट्रेजरी बेंच पर भी दबाव बनता है। सामूहिक शक्ति से हमें अनेक अच्छे परिणाम मिलते हैं। मैं इतना ही कहूंगा कि इसको राजनीति के तराजू से न तौलें। हम जब भी कुछ निर्णय लेते हैं उसका आधा जिम्मा जो उठा रहे हैं, उनका भी कुछ हक बनता है। संख्या के संबंध में भी पहले कहते थे कि जो संख्या थी, उसे बढ़ने की बात ही चलती थी। अपने यहां जब कोई भी शुभ काम होता है, उसे नजर न लग जाए, उसे काला टीका लगता है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं काला टीका लगाने के लिए।

धमकी भरे ईमेल के बाद स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को मिली Z सिक्योरिटी, विधानसभा की किलाबंदी शुरू

नई दिल्ली । दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता को लगातार मिल रही बम धमकियों और हालिया सुरक्षा चूक के बाद जेड श्रेणी की सुरक्षा दे दी गई है।

इसके साथ ही विधानसभा परिसर की सुरक्षा भी पूरी तरह मजबूत की जा रही है, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोका जा सके। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष की सुरक्षा बढ़ाते हुए उन्हें जेड श्रेणी सुरक्षा कवर दिया गया है। यह फैसला तब लिया गया है, जब विधानसभा सचिवालय और अध्यक्ष कार्यालय को आधिकारिक ईमेल आईडी पर करीब 6 से 7 धमकी भरे ईमेल मिले। इन ईमेल में बम धमाके की धमकी दी गई थी। इन धमकियों के अलावा हाल ही में विधानसभा परिसर में एक बड़ी सुरक्षा चूक भी सामने आई थी। एक व्यक्ति विधानसभा के गेट पार कर अंदर पहुंच गया और अध्यक्ष की गाड़ी में एक संदिग्ध वस्तु रखकर चला गया। इस घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गईं और पूरे इंतजाम की समीक्षा की गई। नई सुरक्षा व्यवस्था के तहत अब विजेंद्र गुप्ता के साथ 24 घंटे विशेष सुरक्षा टीम तैनात रहेगी। उनके काफिले के साथ हर समय एक एस्कॉर्ट वाहन चलेगा। सुरक्षा टीम की कमान एक प्रभारी अधिकारी के हाथ में होगी, जबकि प्रशिक्षित कमांडो भी साथ रहेंगे। सार्वजनिक कार्यक्रमों और आधिकारिक दौरों के दौरान भी उनकी सुरक्षा पहले से यादा कड़ी रहेगी। वहीं, दिल्ली विधानसभा परिसर में भी सुरक्षा के बड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। सभी प्रवेश द्वारों पर ऑटोमेटिक बूम बैरियर लगाए जा रहे हैं, ताकि आने-जाने वाले हर व्यक्ति और वाहन की जांच अनिवार्य रूप से हो सके। बैग और सामान की भी सख्ती से जांच की जाएगी। इसके अलावा परिसर में सीआरपीएफ की क्विक रिस्पॉन्स टीम (क्यूआरटी) वाहन समेत तैनात कर दी गई है। ये टीम लगातार गश्त करेगी और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई करेगी। विधानसभा सचिवालय की ओर से कहा गया है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं को निशाना बनाने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अध्यक्ष और विधानसभा की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है। नए इंतजामों से विधानसभा परिसर को पूरी तरह सुरक्षित रखने की कोशिश की जा रही है।

सीएम रेखा गुप्ता पर हमले के आरोपियों को बड़ा झटका, हाई कोर्ट ने ट्रायल रोकने से किया इनकार

नई दिल्ली । दिल्ली हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले के मामले में आरोपियों को कोई राहत देने से साफ इनकार कर दिया. कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग को ठुकरा दिया है. यह मामला पिछले साल अगस्त का है, जब सिविल लाइंस स्थित मुख्यमंत्री आवास पर जन सुनवाई के दौरान रेखा गुप्ता पर हमला हुआ था. इस मामले में गुजरात के राजकोट निवासी राजेशभाई खिमजीभाई और तहसीन रजा रफीउल्लाह शेख को आरोपी बनाया गया है. दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस अनूप जयराम भम्बानी ने आरोपियों की याचिका पर सुनवाई की. इस याचिका में आरोपियों ने अपने खिलाफ तय किए गए आरोपों को चुनौती दी थी, लेकिन कोर्ट ने साफ कहा कि अभी ऐसा कोई ठोस कारण नहीं है जिससे ट्रायल को रोका जाए. दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील ने कोर्ट से आरोपियों के मोबाइल फोन की फॉरेंसिक जांच जल्दी कराने की मांग की. इस पर कोर्ट ने भी सहमति जताते हुए कहा कि मोबाइल फोन इस मामले के कई राज खोल सकते हैं. खासकर तब

जब दोनों आरोपी दिल्ली के रहने वाले नहीं हैं. कोर्ट ने फॉरेंसिक साइंस लैब को निर्देश दिया कि मोबाइल की जांच जल्द से जल्द पूरी की जाए और चार हफ्ते के अंदर रिपोर्ट सौंपी जाए. दिल्ली हाई कोर्ट में आरोपियों के वकील ने दलील दी कि अगर ट्रायल नहीं रोका गया तो 25 अप्रैल से गवाहों के बयान दर्ज होने शुरू हो जाएंगे. इससे उनके मुवक्किल को नुकसान हो सकता है, लेकिन कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया. जज ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, जब तक यह साफ न हो कि कुछ गलत हो रहा है या होने वाला है. मैं किसी प्रक्रिया को रोकने में विश्वास नहीं रखता. मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा और मुझे अब तक समझ नहीं आया कि आप दिल्ली आए ही क्यों थे. इस मामले में दोनों आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और उनके खिलाफ हत्या के प्रयास का केस दर्ज है. 20 अगस्त को एफआईआर दर्ज हुई थी और दिसंबर में कोर्ट ने उनके खिलाफ आरोप तय कर दिए थे. अब इस मामले में आगे की सुनवाई 25 अप्रैल से शुरू होगी. सुनवाई के दौरान गवाहों के बयान दर्ज किए जाएंगे.

दिल्ली में फायर सर्विस की समीक्षा- एलजी ने सुधार पर दिया जोर, सतर्कता बढ़ाने के दिए निर्देश

नई दिल्ली । दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने बृहस्पतिवार को दिल्ली फायर सर्विस (डीएफएस) की कार्यप्रणाली, गर्मियों की तैयारी और फायर सर्विस नियमों की समीक्षा की। उन्होंने बढ़ती आबादी को देखते हुए फायर स्टेशनों की संख्या बढ़ाने, खाली पद जल्द भरने और आपात सेवाओं को बेहतर तरीके से जोड़ने के निर्देश दिए। इसके लिए संसाधन की कमी नहीं होगी। उपराज्यपाल ने दिल्ली फायर सर्विस की समीक्षा बैठक में राजधानी की बढ़ती जरूरतों के हिसाब से दमकल व्यवस्था को मजबूत और आधुनिक करने को कहा है। बैठक में दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव, प्रधान सचिव (गृह), दिल्ली फायर सर्विस के वरिष्ठ अधिकारी और विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। गर्मी के मौसम और बढ़ते तापमान को देखते हुए एलजी ने विभाग के समर एक्शन प्लान की समीक्षा की और आने वाले महीनों में यादा सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गर्मियों में आग लगने की घटनाएं बढ़ती हैं, इसलिए तैयारी पूरी रहनी चाहिए।

फायर, एंबुलेंस और पीसीआर का एक ही इमरजेंसी नंबर होगा

एलजी ने फायर, एंबुलेंस और पीसीआर सेवाओं को एक साझा इमरजेंसी नंबर से जोड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आग लगने जैसी घटना में तीनों सेवाओं की एक साथ जरूरत पड़ती है, इसलिए इन्हें एक ही जगह से संचालित किया जाना चाहिए। खासकर उन इलाकों में, जिन्हें आग की दृष्टि से संवेदनशील

माना गया है, वहां यह व्यवस्था जल्द लागू की जाए। इस बैठक में दिल्ली फायर सर्विस नियम 2010 में प्रस्तावित बदलावों पर भी चर्चा हुई। एलजी ने कहा कि नए नियम बनाने से पहले लोगों, व्यापारियों, दुकानदारों और रेजिडेंट्स से व्यापक सलाह ली जाए, ताकि नियम व्यवहारिक, आसान और सभी के हित में हों। उन्होंने कहा कि किसी भी नियम का उद्देश्य लोगों की जिंदगी आसान बनाना और कारोबार को सुविधा देना होना चाहिए। साथ ही फायर सेफ्टी के मानकों से कोई समझौता नहीं होना चाहिए।

फायर के अब 39 सब-डिवीजन होंगे, नई भर्ती होगी

एलजी को बताया गया कि विभाग में प्रशासनिक ढांचे का विस्तार किया जा रहा है। इसके तहत जोन की संख्या 3 से बढ़ाकर 5, डिवीजन 6 से बढ़ाकर 13 और सब-डिवीजन 18 से बढ़ाकर 39 किए जाने का प्रस्ताव है। इस पर एलजी ने इसे जल्द लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभाग में स्वीकृत पदों के मुकाबले बड़ी संख्या में खाली पदों पर चिंता जताई और कहा कि भर्ती प्रक्रिया तेजी से पूरी की जाए। इसके लिए समयसीमा तय कर रिपोर्ट लोकनिवास को भेजने को कहा गया है।

दिल्ली की बढ़ी आबादी के लिहाज से बढ़ेंगे फायर स्टेशन

राजधानी में फिलहाल 71 फायर स्टेशन हैं। एलजी ने कहा कि दिल्ली की आबादी तेजी से बढ़ी है, इसलिए फायर स्टेशनों की संख्या भी चरणबद्ध तरीके से बढ़ाई जानी चाहिए। इस संबंध में जल्द विस्तृत योजना मांगी गई है। बैठक में बताया गया कि दिल्ली फायर सर्विस अब सिर्फ आग बुझाने तक सीमित नहीं है। विभाग पशु बचाव, पक्षी बचाव और अन्य आपात स्थितियों में भी मदद करता है। वर्ष 2025-26 में कुल 36,877 इमरजेंसी कॉल दर्ज की गईं। एलजी ने लोगों को जागरूक करने के लिए बड़े अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्कूलों, अस्पतालों, गृहिणियों, प्रोफेशनल्स और अन्य वर्गों को आग से बचाव, सुरक्षा नियमों और आपात स्थिति में सही कदमों की जानकारी दी जाए।

शिक्षा का विस्तार

भारत तेजी से डिजिटल युग की ओर बढ़ रहा है, और इस परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षा क्षेत्र, विशेषकर विश्वविद्यालयों पर दिखाई दे रहा है। आज देश के कई विश्वविद्यालय पारंपरिक शिक्षा प्रणाली से आगे बढ़ते हुए डिजिटल और तकनीकी शिक्षा को अपनाने की दिशा में सक्रिय हो गए हैं। यह बदलाव न केवल शिक्षण पद्धति को आधुनिक बना रहा है, बल्कि छात्रों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार भी कर रहा है। डिजिटल शिक्षा का अर्थ केवल ऑनलाइन कक्षाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), मशीन लर्निंग (मशीन अधिगम), डेटा साइंस (आंकड़ा विज्ञान), क्लाउड कंप्यूटिंग (मेघ संगणना) और वर्चुअल लैब्स (आभासी प्रयोगशालाएं) जैसे आधुनिक उपकरणों का समावेश भी शामिल है। भारत के कई प्रमुख विश्वविद्यालय अब इन तकनीकों को अपने पाठ्यक्रम का हिस्सा बना रहे हैं। इससे छात्रों को नई तकनीकों के साथ काम करने का व्यावहारिक अनुभव मिल रहा है, जो उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करता है। नई शिक्षा नीति 2020 ने इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस नीति के तहत डिजिटल लर्निंग (डिजिटल शिक्षण), स्किल डेवलपमेंट (कौशल विकास) और टेक्नोलॉजी आधारित शिक्षा को विशेष महत्व दिया गया है। सरकार ने डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया जैसी पहलों के माध्यम से भी विश्वविद्यालयों को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने का प्रयास किया है। इसके परिणामस्वरूप कई विश्वविद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम (स्मार्ट कक्षाएं), ई-लाइब्रेरी (ई-पुस्तकालय) और ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म (ऑनलाइन शिक्षण मंच) की स्थापना की जा रही है। डिजिटल और तकनीकी शिक्षा का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह शिक्षा को अधिक सुलभ (सुगम) और लचीला (लचीला) बनाती है। अब छात्र कहीं से भी ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई कर सकते हैं। इससे ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों के छात्रों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिल रहा है। इसके अलावा, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध विविध कोर्सेज छात्रों को अपनी रुचि और करियर के अनुसार विषय चुनने की स्वतंत्रता देते हैं। हालांकि, इस परिवर्तन के साथ कुछ चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। सबसे बड़ी समस्या डिजिटल डिवाइड (डिजिटल विभाजन)÷ की है। देश में अभी भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां इंटरनेट और डिजिटल संसाधनों की कमी है। ऐसे में वहां के छात्र इस नई शिक्षा प्रणाली का पूरा लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। इससे शिक्षा में असमानता बढ़ने का खतरा भी उत्पन्न हो रहा है। इसके अलावा, सभी शिक्षक और छात्र डिजिटल तकनीकों के उपयोग में पूरी तरह दक्ष नहीं हैं। इसके लिए प्रशिक्षण और जागरूकता की आवश्यकता है। कई विश्वविद्यालयों में तकनीकी संसाधनों की कमी और वित्तीय समस्याएं भी इस बदलाव की गति को धीमा कर रही हैं। यदि इन समस्याओं का समाधान नहीं किया गया, तो डिजिटल शिक्षा का उद्देश्य अधूरा रह सकता है। तकनीकी शिक्षा के बढ़ते प्रभाव का एक अन्य पहलू यह भी है कि यह पारंपरिक विषयों को पीछे छोड़ सकता है। मानविकी (मानविकी) और सामाजिक विज्ञान (सामाजिक विज्ञान) जैसे विषयों का महत्व कम होने का खतरा है, जबकि ये विषय समाज के संतुलित विकास के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। इसलिए यह जरूरी है कि डिजिटल और तकनीकी शिक्षा के साथ-साथ पारंपरिक विषयों को भी समान महत्व दिया जाए। विश्वविद्यालयों में डिजिटल शिक्षा का विस्तार केवल एक तकनीकी बदलाव नहीं, बल्कि एक सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन भी है। यह छात्रों को केवल नौकरी के लिए नहीं, बल्कि नवाचार (नवाचार) और उद्यमिता (उद्यमिता) के लिए भी तैयार कर रहा है। आज के छात्र स्टार्टअप्स (नवउद्यम) और नए विचारों के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं। भविष्य की दृष्टि से देखा जाए तो डिजिटल और तकनीकी शिक्षा भारत को वैश्विक शिक्षा मानचित्र पर एक मजबूत स्थान दिला सकती है। यदि सरकार, विश्वविद्यालय और निजी क्षेत्र मिलकर इस दिशा में काम करें, तो भारत एक ÷ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था÷ (ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था) के रूप में उभर सकता है। अंततः, विश्वविद्यालयों में डिजिटल और तकनीकी शिक्षा का विस्तार एक सकारात्मक और आवश्यक कदम है, लेकिन इसे संतुलित और समावेशी (समावेशी) बनाना बेहद जरूरी है। जब तक हर छात्र को समान अवसर और संसाधन उपलब्ध नहीं होंगे, तब तक यह परिवर्तन अधूरा रहेगा। इसलिए आज आवश्यकता है ऐसी नीतियों और प्रयासों की, जो इस डिजिटल क्रांति को सभी के लिए लाभकारी बना सकें।

महिला आरक्षण का 'आकर्षण'

एक तरफ जहां पूरी दुनिया पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध पर चीत्कार कर रही है तो वहीं दूसरी ओर भारत के पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और केन्द्र की मोदी सरकार संसद के चालू बजट सत्र की तीन विशेष बैठकें 16 से लेकर 18 अप्रैल तक बुला रही है। इससे भारत के लोकतन्त्र की उस अजीम ताकत का पता चलता है जिसे संविधान के माध्यम से हमारे स्वतन्त्रता सेनानियों ने हमें अता फरमाई थी। आज से यह त्रिदिवसीय बैठक शुरू हो रही है जिसमें महिला आरक्षण विधेयक को नये सिरे से पारित कराया जायेगा। यह संविधान संशोधन होगा जिसके लिए संसद के दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत की जरूरत होगी।सत्तारूढ़ भाजपा की मोदी सरकार को विश्वास है कि दोनों ही सदनों में विपक्ष की प्रमुख पार्टियां भी इसका समर्थन करेंगी क्योंकि देश की आधी आबादी को दिये जाने वाले अधिकार का विरोध करके वे अपने राजनीतिक भविष्य को अंधेरे में नहीं धकेल सकतीं। परन्तु महिलाओं को विधानसभाओं व लोकसभा में 33 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने वाले इस विधेयक के साथ ही दो और विधेयक भी पारित किये जायेंगे जो चुनाव क्षेत्र परिसीमन व केन्द्र प्रशासित राज्यों से सम्बन्धित होंगे। फिलहाल परिसीमन में पूर्ण राज्य व केन्द्र प्रशासित राज्य समन्वित रूप से ही अपने लोकसभा चुनाव करते हैं। चुनाव तो अब भी समन्वित रूप से होंगे मगर केन्द्र प्रशासित राज्यों से अब कुल 35 लोकसभा सांसद चुने जायेंगे जबकि राज्यों से 815 लोकसभा सांसद होंगे। इस प्रकार वर्तमान लोकसभा सदस्यों की संख्या 543 से बढ़कर 850 हो जायेगी जो कि वर्तमान संख्या से 50 प्रतिशत अधिक होगी। कुल 850 सांसदों में अनुसूचित जातियों व जनजातियों का आरक्षण रहेगा। अतः महिलाओं के लिए जो 33 प्रतिशत आरक्षण होगा उसमें भी अनुसूचित जातियों व जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षण रहेगा। हालांकि कुछ विपक्षी दल मांग कर रहे हैं कि पिछड़ी जाति की महिलाओं के लिए भी 33 प्रतिशत आरक्षण में उनकी जनसंख्या को देखते हुए जरूरी आरक्षण कोटा दिया जाये। सरकार परिसीमन के लिए अलग से एक विधेयक ला रही है जिसमें इस शर्त को हटा दिया जायेगा कि दस वर्ष के अन्तराल पर होने वाली जनगणना के बाद परिसीमन आयोग का गठन होगा जो बढ़ी हुई जनसंख्या के आधार पर लोकसभा व विधानसभाओं में सदस्यों की संख्या में वृद्धि करेगा। भारत में पिछला परिसीमन 1971 की जनगणना के बाद हुआ था जिसमें लोकसभा की लगभग दो दर्जन सीटें बढ़कर 543 कर दी गई थीं। इसके बाद संसद में इसी संख्या को स्थिर करने हेतु आवश्यक संविधान संशोधन कानून बनते रहे। ऐसा सबसे पिछला कानून भाजपा नीत एनडीए की वाजपेयी सरकार के दौरान बना था जिसमें आगामी 20 वर्षों के लिए सदस्य संख्या पर जाम लगा दिया गया था। मगर देश में 1990 के बाद से ही महिला आरक्षण की मांग तेज होने लगी थी। जिसकी वजह से 1989 से लेकर 2010 तक कई बार इस विधेयक को तत्कालीन सरकारों ने संसद के पटल पर रखा मगर हर बार प्रयास अधूरा रहा कभी राज्यसभा में बहुमत नहीं मिला तो कभी लोकसभा में। मगर मोदी सरकार में जब इसे करने की राजनीतिक इच्छा शक्ति प्रबल हुई तो सभी बाधायें समाप्त होने के कगार पर पहुंच गईं। वर्ष 2023 में मोदी सरकार ने संसद के दोनों सदनों में इसे पारित कराने में सफलता प्राप्त कर ली मगर इसे जमीन पर उतारने के बारे में शर्त लगा दी कि महिला आरक्षण तभी लागू होगा जबकि देश में नई जनगणना हो जाये।

इसके आधार पर परिसीमन आयोग गठित होगा जो लोकसभा की सदस्य संख्या बढ़ाने की अनुशंसा करेगा। मोदी सरकार नया संविधान संशोधन लाकर यही शर्त हटाना चाहती है। अतः नये संशोधन में प्रस्ताव किया गया है कि परिसीमन आयोग सबसे ताजा हुई जनगणना के आधार पर ही चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन कर देगा। भारत में पूर्व सबसे ताजी जनगणना 2011 में मनमोहन सरकार के कार्यकाल के दौरान हुई थी। अतः लोकसभा के सदस्यों की संख्या अब इसी आधार पर 850 तक बढ़ाई जायेगी जो आगामी 15 वर्षों तक यथावत रहेगी परन्तु विपक्षी पार्टियां विशेष कर कांग्रेस व द्रमुक इस मुद्दे पर कह रही हैं कि नये परिसीमन में लोकसभा में भारत के किसी एक विशेष भूभाग के लोगों का वर्चस्व नहीं होना चाहिए और परिसीमन इस प्रकार होना चाहिए कि उत्तर व दक्षिण के सभी राज्यों को अपना-अपना वाजिब हिस्सा मिले। बेशक फिलहाल उत्तर भारत व पश्चिमी भारत के विभिन्न राज्यों में भाजपा का सिक्का चल रहा है परन्तु कर्नाटक को छोड़ कर सभी दक्षिणी राज्यों में यह पार्टी बहुत कमजोर मानी जाती है। इसलिए दक्षिणी राज्यों के राजनीतिक दलों को आशंका है कि कहीं संसद के भीतर उनकी राजनीतिक शक्ति संशोधन के बाद हल्की न पड़ जाये। अतः द्रमुक व वामपंथी पार्टियां मांग कर रही हैं कि परिसीमन में उनके साथ भेदभाव हो सकता है। मगर मोदी सरकार ने अब इस शंका का समूल नाश ही कर दिया है और कहा है कि परिसीमन 2011 की जनगणना के आधार पर होगा। इसकी वजह यह थी कि दक्षिण भारत के राज्यों ने जनसंख्या नियन्त्रण में बहुत बेहतर काम किया है जबकि उत्तर भारत के राज्य इसमें पिछड़े रहे हैं लेकिन अब तो परिसीमन 2011 के आंकड़ों के आधार पर होगा और गृहमन्त्री श्री अमित शाह वचन दे चुके हैं कि नई सदस्य संख्या में उत्तर-दक्षिण के पुराने संख्या समीकरण बने रहेंगे। हालांकि जब 2023 में मोदी सरकार ने संसद में महिला आरक्षण विधेयक पारित कराया था तो विपक्षी दलों ने ही मांग की थी कि इसे तुरन्त लागू क्यों नहीं किया जा सकता और सरकार इसके साथ जनगणना व परिसीमन की शर्तें क्यों लगा रही है। एक मायने में मोदी सरकार ने नये संशोधन में विपक्षी दलों की मांग को ही मंजूर करते हुए इसे 2011 की जनगणना से जोड़ दिया है जिससे परिसीमन आयोग अपना काम जल्दी ही शुरू कर सके। इसे देखते हुए यदि विपक्षी दल अब भी नये संशोधन विधेयक को पारित करने से पीछे हटते हैं तो उन्हें भारी राजनीतिक नुकसान हो सकता है। जब परिसीमन से सम्बन्धित विधेयक में सरकार यह शर्त लगा रही है कि इसके बाद हर जनगणना के बाद परिसीमन कराना जरूरी नहीं होगा तो किस बात का विरोध है ?

सम्पादकीय...

राजनीति का नया समीकरण

मध्य पूर्व एक बार फिर वैश्विक राजनीति के केंद्र में आ खड़ा हुआ है। हाल ही में अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना कर रहा तेल टैंकर ÷रिच स्टारी÷ होर्मुज की जलसंधि की ओर वापस लौट आया, जिससे यह संकेत मिलता है कि अमेरिका द्वारा लगाए गए समुद्री अवरोध (ब्लॉकेड) का असर अब जमीनी हकीकत में दिखने लगा है। यह घटना केवल एक जहाज की आवाजाही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय शक्ति संतुलन, ऊर्जा सुरक्षा और कूटनीतिक असफलताओं की गहरी कहानी कहती है। रिपोर्टों के अनुसार, यह टैंकर एक दिन पहले फारस की खाड़ी से बाहर निकल गया था, लेकिन बुधवार को फिर से होर्मुज की ओर लौट आया। इसका मुख्य कारण अमेरिका द्वारा उन जहाजों पर कड़ी निगरानी और रोकथाम है, जो ईरानी बंदरगाहों से जुड़े हैं। अमेरिका का यह कदम उसके उस व्यापक रणनीतिक दबाव का हिस्सा है, जिसके तहत वह ईरान को आर्थिक और कूटनीतिक रूप से अलग-थलग करना चाहता है। इस पूरे घटनाक्रम की पृष्ठभूमि में हाल ही में पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हुई अमेरिका-ईरान वार्ता है, जो बिना किसी ठोस समझौते के समाप्त हो गई। इसके तुरंत बाद, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान से जुड़े जहाजों पर समुद्री अवरोध की घोषणा कर दी। यह निर्णय न केवल वार्ता की विफलता को दर्शाता है, बल्कि यह भी बताता है कि अब अमेरिका कूटनीति के बजाय दबाव की नीति को प्राथमिकता दे रहा है। होर्मुज की जलसंधि, जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक है, इस समय वैश्विक चिंता का केंद्र बन गई है। यहां से प्रतिदिन दुनिया के कुल तेल आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है। ऐसे में किसी भी प्रकार का अवरोध या तनाव सीधे तौर पर वैश्विक ऊर्जा बाजार को प्रभावित कर सकता है। ÷रिच स्टारी÷ जैसे टैंकरों की आवाजाही पर रोक यह संकेत देती है कि आने वाले दिनों में तेल आपूर्ति बाधित हो सकती है, जिससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों में उछाल संभव है। ईरान के लिए यह स्थिति और भी चुनौतीपूर्ण है। पहले से ही आर्थिक प्रतिबंधों से जूझ रहे ईरान के लिए समुद्री व्यापार पर यह नई पाबंदी उसकी अर्थव्यवस्था को और कमजोर कर सकती है। हालांकि, ईरान ने हमेशा ऐसे दबावों का जवाब अपने तरीके से दिया है, और इस बार भी वह किसी न किसी रूप में प्रतिक्रिया दे सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि तनाव बढ़ता है, तो यह पूरे मध्य पूर्व को अस्थिर कर सकता है। इस घटनाक्रम का असर केवल अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं है। चीन, भारत और यूरोप जैसे देश, जो तेल आयात पर निर्भर हैं, इस स्थिति को लेकर चिंतित हैं। विशेष रूप से भारत जैसे देश के लिए, जो अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है, यह संकट आर्थिक दबाव बढ़ा सकता है। अंततः, ÷रिच स्टारी÷ की वापसी एक प्रतीक बन गई है-एक ऐसे दौर का प्रतीक, जहां समुद्री रास्ते केवल व्यापार के माध्यम नहीं, बल्कि राजनीतिक ताकत और रणनीतिक नियंत्रण के उपकरण बन गए हैं। अगर जल्द ही कोई कूटनीतिक समाधान नहीं निकाला गया, तो यह संकट और गहराता जाएगा, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 बनाम प्रॉक्सी राजनीति व नेतृत्व,आपराधिक दखल, बैक-डोर कंट्रोल, राजनीतिक ढाल बनाकर दुरुपयोग की चुनौती-

वैश्विक स्तरपर भारत ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के माध्यम से लोकतांत्रिक इतिहास में एक निर्णायक कदम उठाया है, जिसका उद्देश्य संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान कर राजनीतिक प्रतिनिधित्व में लैंगिक संतुलन स्थापित करना है। यह कदम केवल सांख्यिकीय प्रतिनिधित्व बढ़ाने का प्रयास नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय, समावेशी विकास और लोकतंत्र की गुणवत्ता को मजबूत करने का एक व्यापक दृष्टिकोण भी है। किंतु इस ऐतिहासिक पहल के साथ कई गंभीर प्रश्न और आशंकाएँ भी उभरकर सामने आई हैंविशेषकर प्रॉक्सी नेतृत्व या बैक-डोर कंट्रोल का खतरा, जिसमें निर्वाचित महिला प्रतिनिधि के स्थान पर वास्तविक सत्ता उनके पति या अन्य पुरुष रिश्तेदारों के हाथों में होती है। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं कि यह समस्या भारत तक सीमित नहीं है; विश्व के कई लोकतंत्रों में महिला आरक्षण या कोटा लागू होने के बाद इसी प्रकार की चुनौतियाँ सामने आईं हैंइसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि हम इस अधिनियम के निहितार्थों, संभावित जोखिमों और सुधारात्मक उपायों का गहन विश्लेषण करें। ताकि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के दूरगामी सकारात्मक प्रभाव हमारे विजन 2047 के लिए सटीक रूप से मील का पत्थर साबित हो। साथियों बात अगर हम मुद्दों का विश्लेषण करें तो सबसे पहला और बुनियादी प्रश्न यह हैकि क्या महिला जनप्रतिनिधियों का पारिवारिक पुरुषों द्वारा नियंत्रित होना मतदाताओं के विश्वास का हनन है?लोकतंत्र की मूल आत्माप्रतिनिधित्व और उत्तरदायित्व पर आधारित होती है। जब मतदाता किसी महिला को उसकी ईमानदार छवि, सामाजिक संवेदनशीलता और नेतृत्व क्षमता के आधार पर चुनते हैं, तब वे अपेक्षा करते हैं कि वही महिला नीति-निर्माण और निर्णय लेने की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाएगी। लेकिन यदि वास्तविक निर्णय उसके पति या परिवार के पुरुष सदस्य लेते हैं, तो यह न केवल मतदाता के विश्वास के साथ धोखा है, बल्कि लोकतंत्र की पारदर्शिता और जवाबदेही को भी कमजोर करता है। भारत के कई राज्यों में पंचायत स्तर पर सरपंच पति की प्रवृत्ति एक स्थापित वास्तविकता बन चुकी है, जहाँ निर्वाचित महिला केवल नाममात्र की मुखिया होती है और वास्तविक शक्ति पुरुषों के हाथों में रहती है। यह स्थिति महिलाओं के सशक्तिकरण के मूल उद्देश्य को ही निष्प्रभावी कर देती है और उन्हें मात्र एक तुच्छ राजनीतिक औजार बना देती है। साथियों दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लागू होने के बाद बैक-डोर नेतृत्व की संभावनाएँ बढ़ सकती हैं। जब किसी क्षेत्र को महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया जाता है,तोराजनीतिक दल और प्रभावशाली पुरुष नेता अपने परिवार की महिलाओं को उम्मीदवार बनाकर अप्रत्यक्ष रूप से सत्ता पर नियंत्रण बनाए रखने का प्रयास कर सकते हैं। यह प्रवृत्ति पहले से ही स्थानीय निकायों में देखी जा चुकी है और यह संभावना है कि यह अब राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक भी फैल सकती है। इस संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय अनुभव भी महत्वपूर्ण हैं। उदाहरण के लिए, कुछ अफ्रीकी और दक्षिण एशियाई देशों में महिला कोटा लागू होने के बाद प्रारंभिक वर्षों में प्रॉक्सी पॉलिटिक्स का चलन बढ़ा,जहाँ महिलाएँ केवल प्रतीकात्मक प्रतिनिधि थीं। हालांकि समय के साथ, शिक्षा, राजनीतिक प्रशिक्षण और सामाजिक जागरूकता के बढ़ने से यह प्रवृत्ति धीरे-धीरे कम हुई। इससे यह स्पष्ट होता है कि केवल आरक्षण देना पर्याप्त नहीं है; उसके साथ संस्थागत और सामाजिक सुधार भी आवश्यक है। साथियों तीसरा बिंदु यह है कि क्या अयोग्य या अक्षम पुरुष नेता, जो स्वयं चुनाव नहीं लड़ सकते, महिलाओं को आगे कर बैक-डोर से सत्ता पर नियंत्रण बनाए रखेंगे? यह आशंका पूरी तरह निराधार नहीं है। भारतीय राजनीति में परिवारवाद और वंशवाद पहले से ही एक महत्वपूर्ण कारक रहा है। ऐसे में, यदि किसी पुरुष नेता पर कानूनी या राजनीतिक प्रतिबंध है, तो वह अपनी पत्नी, बेटी या अन्य महिला रिश्तेदार को उम्मीदवार बनाकर अप्रत्यक्ष रूप से सत्ता का उपयोग कर सकता है। यह न केवल लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा को कमजोर करता है, बल्कि योग्य और स्वतंत्र महिला नेताओं के उभरने में भी बाधा डालता है। इस समस्या का समाधान केवल कानूनी प्रावधानों से नहीं, बल्कि राजनीतिक दलों की आंतरिक लोकतांत्रिक संरचना और उम्मीदवार चयन प्रक्रिया में अति अति सतर्कता व पारदर्शिता से ही संभव है। साथियों चौथा और अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू अपराध और न्याय व्यवस्था से जुड़ा है। इंस्टीट्यूट फॉर क्राइम एंड जस्टिस पॉलिसी रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में महिला कैदियों की संख्या पिछले दो दशकों में 162 प्रतिशत बढ़ी है, जो पुरुष कैदियों की वृद्धि दर (77 प्रतिशत) से कहीं अधिक है। यह असंतुलन कई गंभीर सवाल खड़े करता है। क्या महिलाओं में अपराध की प्रवृत्ति बढ़ रही है, या उन्हें आपराधिक नेटवर्क द्वारा जानबूझकर इस्तेमाल किया जा रहा है? कई मामलों में यह पाया गया है कि मादक पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी और अवैध प्रवास जैसे अपराधों में महिलाओं को इसलिए शामिल किया जाता है क्योंकि उन्हें कम संदिग्धमद माना जाता है। यह स्थिति और भी चिंताजनक हो जाती है जब हम इसे राजनीतिक संदर्भ में देखते हैं। यदि आपराधिक तत्व महिलाओं को राजनीतिक ढाल के रूप में इस्तेमाल करने लगें, तो यह लोकतंत्र और कानून व्यवस्था दोनों के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। विशेष रूप से सीमावर्ती राज्यों में, जहां अवैध प्रवास और तस्करी की समस्या अधिक है, यह जोखिम और भी बढ़ जाता है। साथियों पांचवां मुद्दा आरक्षण के व्यावहारिक प्रभाव से जुड़ा है। यदि किसी विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र को महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया जाता है,और वहां पर्याप्त योग्य महिला उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं, तो यह संभावना है कि अपेक्षाकृत कम सक्षम उम्मीदवार ही निर्वाचित हो जाएं। यह स्थिति मतदाताओं के लिए भी अन्यायपूर्ण हो सकती है,क्योंकि उन्हें अपनी पसंद के सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार का चयन करने का अवसर नहीं मिलता। हालांकि यह तर्क आंशिक रूप से सही है, लेकिन इसे व्यापक संदर्भ में देखना आवश्यक है।

इतिहास गवाह है कि जब भी किसी वंचित वर्ग को अवसर दिया जाता है, तो प्रारंभिक वर्षों में चुनौतियां होती हैं, लेकिन समय के साथ वह वर्ग अपनी क्षमता विकसित कर लेता है। इसलिए, इस समस्या का समाधान आरक्षण को समाप्त करना नहीं, बल्कि महिलाओं के लिए शिक्षा, नेतृत्व प्रशिक्षण और राजनीतिक सहभागिता के अवसर बढ़ाना है।

साथियों छठा और अंतिम बिंदु संवैधानिक संतुलन से जुड़ा है। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि महिला आरक्षण के कारण पुरुषों के मौलिक अधिकारों, विशेष रूप से समानता के अधिकार, का उल्लंघन न हो। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 और 15 समानता और गैर-भेदभाव की गारंटी देते हैं, लेकिन साथ ही अनुच्छेद 15 (3) राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति भी देता है। इसलिए, महिला आरक्षण संवैधानिक रूप से वैध है, बशर्ते कि यह समान अवसर और न्याय के व्यापक सिद्धांतों के अनुरूप हो। यहाँ संतुलन बनाना अत्यंत आवश्यक है, ताकि यह नीति सामाजिक न्याय को बढ़ावा दे, न कि नए प्रकार के असंतुलन पैदा करे। इन सभी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, यह आवश्यक हो जाता है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम में कुछ ठोस दंडात्मक व सुधारात्मक उपाय जोड़े जाएँ। साथियों सबसे पहले, प्रॉक्सी नेतृत्व को रोकने के लिए स्पष्ट कानूनी प्रावधान होने चाहिए, जिनमें आर्थिक और आपराधिक दंड शामिल हों। यदि यह साबित होता है कि कोई निर्वाचित महिला प्रतिनिधि केवल नाममात्र की है और वास्तविक निर्णय कोई अन्य व्यक्ति ले रहा है, तो उस पर और संबंधित व्यक्ति पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा, महिला प्रतिनिधियों के लिए अनिवार्य राजनीतिक और प्रशासनिक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए जाने चाहिए, ताकि वे आत्मनिर्भर और सक्षम नेता बन सकें। तीसरा, राजनीतिक दलों को अपने आंतरिक ढांचे में सुधार करना होगा और महिलाओं को केवल टोकन उम्मीदवार के रूप में नहीं, बल्कि वास्तविक नेता के रूप में आगे बढ़ाना होगा। चौथा, नागरिक समाज और मीडिया की भूमिका भी महत्वपूर्ण है; उन्हें ऐसे मामलों को उजागर करना चाहिए जहाँ महिलाओं का दुरुपयोग किया जा रहा हो। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी यह देखा गया है कि महिला आरक्षण तभी सफल होता है जब उसे व्यापक सामाजिक और संस्थागत सुधारों के साथ जोड़ा जाए। रवांडा, नॉर्वे और फ्रांस जैसे देशों में महिला प्रतिनिधित्व बढ़ने के साथ-साथ महिलाओं की वास्तविक भागीदारी भी बढ़ी है, क्योंकि वहाँ शिक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक स्वीकृति का स्तर उच्च है। भारत को भी इस दिशा में समग्र दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। अंततः, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 भारत के लोकतांत्रिक विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक और आवश्यक कदम है, लेकिन इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि हम ÷संख्यात्मक प्रतिनिधित्व÷ को ÷वास्तविक सशक्तिकरण÷ में कैसे बदलते हैं। यदि हम प्रॉक्सी नेतृत्व, आपराधिक दखल अंदाजी और संस्थागत कमजोरियों को दूर करने में सफल होते हैं, तो यह अधिनियम न केवल महिलाओं के लिए, बल्कि पूरे समाज के लिए एक परिवर्तनकारी शक्ति बन सकता है। अन्यथा, यह केवल एक कागजी सुधार बनकर रहजाएगा जो अपने मूल उद्देश्य को पूरा करने में असफल रहेगा।

होर्मुज़ संकट 2026-अमेरिकी नाकेबंदी, चीनी चुनौती और वैश्विक शक्ति- संतुलन का निर्णायक मोड़

वैश्विक स्तरपर पश्चिम एशिया में 15 अप्रैल 2026 को उत्पन्न घटनाक्रम ने वैश्विक राजनीति को एक बार फिर अस्थिरता के मोड़ पर ला खड़ा किया है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर अमेरिकी नाकेबंदी,चीनी टैंकरों की सक्रियता,ईरान-अमेरिका के बीच तनाव औरइस्लामाबाद में असफल कूटनीतिक वार्ताओं ने मिलकर एक ऐसा संकट पैदा कर दिया है,जिसका प्रभाव केवल क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक है।यह स्थिति केवल सैन्य शक्ति का प्रदर्शन नहीं,बल्कि अंतरराष्ट्रीय कानून,ऊर्जा सुरक्षा और महाशक्तियों के बीच वर्चस्व की लड़ाई का प्रतीक बन चुकी है। इस पूरे घटनाक्रम ने यह स्पष्ट कर दिया है कि 21वीं सदी की राजनीति अब केवल संवाद से नहीं, बल्कि शक्ति-संतुलन और रणनीतिक दबाव से संचालित हो रही है। एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं कि इस बीच भारतीय पीएम और अमेरिकी राष्ट्रपति 14 अप्रैल 2026 को हुई 40 मिनट की बातचीत इस संकट के बीच भारत की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाती है।भारत,जो ऊर्जा आयात पर निर्भर है,इस स्थिति से सीधे प्रभावित हो सकता है। इस वार्ता में ऊर्जा सुरक्षा, क्षेत्रीय स्थिरता और रणनीतिक साझेदारी जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। भारत ने हमेशा संतुलन कारी नीति अपनाई है और इस संकट में भी वह कूटनीतिक समाधान की दिशा में प्रयास कर सकता है। यह भारत के लिए एक अवसर भी है कि वह वैश्विक मंच पर अपनी भूमिका को और मजबूत करे। साथियों बात अगर हम होर्मुज का भू-राजनीतिक महत्व ऊर्जा की जीवनरेखा पर नियंत्रण को समझने की करें तो, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज विश्व की ऊर्जा आपूर्ति का सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है, जहां से प्रतिदिन लगभग 20 प्रतिशत वैश्विक तेल और गैस का परिवहन होता है। यह जलडमरूमध्य फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है और इसके दोनों ओर ईरान और ओमान स्थित हैं। इस क्षेत्र पर नियंत्रण का अर्थ है वैश्विक ऊर्जा बाजार पर प्रभाव, और यही कारण है कि अमेरिका, चीन और ईरान जैसे देश यहां अपनी रणनीतिक उपस्थिति बनाए रखते हैं। होर्मुज पर किसी भी प्रकार की नाकेबंदी या सैन्य गतिविधि का सीधा असर तेल की कीमतों, वैश्विक व्यापार और आर्थिक स्थिरता पर पड़ता है, जिससे यह क्षेत्र विश्व राजनीति का केंद्र बन जाता है। साथियों बात अगर हमअमेरिकी नाकेबंदी- रणनीतिक दबाव या अंतरराष्ट्रीय विवाद इसको समझने की करें तो अमेरिका ने यूनाइटेड स्टेट्स नेवी के माध्यम से ईरानी पोर्ट्स पर दबाव बनाने के लिए नाकेबंदी लागू की, जिसमें 10,000 से अधिक सैनिक, कई युद्धपोत और दर्जनों एयरक्राफ्ट शामिल किए गए। इस नाकेबंदी का उद्देश्य ईरान को उसके परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय गतिविधियों के कारण आर्थिक और सामरिक रूप से कमजोर करना था। हालांकि, इस कदम ने अंतरराष्ट्रीय कानूनों पर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं, क्योंकि किसी भी अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग में एकतरफा नाकेबंदी को वैध नहीं माना जाता। यूरोपीय देशों ने भी इस कदम का समर्थन नहीं किया, जिससे अमेरिका की कूटनीतिक स्थिति कमजोर हुई और यह स्पष्ट हुआ कि यह कदम केवल सामरिक नहीं, बल्कि राजनीतिक जोखिम से भी भरा हुआ है। साथियों बात अगर हम ट्रंप की रणनीति- सफलता और विफलता का मिश्रण इसको समझने की करें तो, ट्रम्प द्वारा लागू की गई नाकेबंदी रणनीति को पूरी तरह सफल या विफल कहना कठिन है। एक ओर जहां कई जहाजों को वापस लौटना पड़ा और ईरान को भारी आर्थिक नुकसान हुआ, वहीं दूसरी ओर कुछ टैंकर नाकेबंदी को पार करने में सफल भी रहे। इससे यह स्पष्ट होता है कि यह रणनीति आंशिक रूप से प्रभावी है,लेकिन इसमें कई कमजोरियां भी हैं।इसके अलावाअंतरराष्ट्रीय समर्थन की कमी और कानूनी विवादों ने इस योजना की विश्वसनीयता को प्रभावित किया है। इस स्थिति में ट्रंप प्रशासन को अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता हो सकती है, ताकि वह अधिक प्रभावी और वैध तरीके से अपने उद्देश्यों को सटीक रूप से प्राप्त कर सके। साथियों बात अगर हम चीनी टैंकर की चुनौती- वैश्विक शक्ति संतुलन का संकेत इसको समझने की करें तो 15 अप्रैल 2026 को चीनी टैंकर रिच स्टैरी अमेरिकी नाकेबंदी को पार करने में असफल रहा,जबकि एक दिन पहले वह सफलता पूर्वक गुजर गया था। यह घटना न केवल अमेरिकी रणनीति की सीमाओं को दर्शाती है, बल्कि चाइना की बढ़ती वैश्विक भूमिका का भी संकेत देती है। यह टैंकर यूनाइटेड अरब अमीरात के हमरियाह पोर्ट से चला था और इसमें भारी मात्रा में मेथेनॉल लोड था। चीन का यह कदम स्पष्ट करता है कि वह अमेरिकी प्रतिबंधों और दबावों को चुनौती देने के लिए तैयार है और अपने ऊर्जा हितों की रक्षा के लिए जोखिम उठाने को भी तैयार है। यह घटना एक बड़े भू-राजनीतिक संघर्ष की ओर संकेत करती है, जिसमें आर्थिक हित और रणनीतिक प्रभुत्व दोनों शामिल हैं साथियों बात अगर हम अमेरिका बनाम चीन- एक नए शीत युद्ध की आहट को समझने की करें तो यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के बीच होर्मुज में बढ़ता तनाव एक नए शीत युद्ध की शुरुआत का संकेत दे रहा है। यह संघर्ष केवल सैन्य नहीं, बल्कि आर्थिक और तकनीकी भी है। चीन, ईरान के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है, जबकि अमेरिका अपने प्रतिबंधों और सैन्य शक्ति के माध्यम से उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। यह टकराव वैश्विक शक्ति संतुलन को बदल सकता है और आने वाले वर्षों में अंतरराष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय कर सकता है। इस संघर्ष में अन्य देश भी अपनी-अपनी रणनीतियों के साथ शामिल हो सकते हैं, जिससे यह स्थिति और बहुत ही जटिल हो सकती है।

साथियों बात अगर हम 1953 का ऐतिहासिक संदभ- अतीत की छाया को समझने की करें तो 1953 ईरानियन कपल डेटट का उल्लेख इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दर्शाता है कि ईरान पर बाहरी दबाव और हस्तक्षेप कोई नई बात नहीं है। उस समय भी तेल और सत्ता के लिए संघर्ष हुआ था, और आज भी वही मुद्दे केंद्र में हैं। अंतर केवल इतना है कि अब इस संघर्ष में चीन जैसे नए खिलाड़ी शामिल हो गए हैं, जिससे स्थिति और जटिल हो गई है। यह ऐतिहासिक संदर्भ यह भी बताता है कि ऐसे संघर्षों का समाधान केवल सैन्य शक्ति से नहीं, बल्कि कूटनीति और सहयोग से ही संभव है। साथियों बात अगर हम इस्लामाबाद वार्ता की विफलता- कूटनीति की सीमाएं इसको समझने की करें तो इस्लामाबाद में हुई अमेरिका-ईरान वार्ता, जिसे जेडी वैन्स ने नेतृत्व किया, 21 घंटे तक चली लेकिन अंततः असफल रही। इस विफलता का मुख्य कारण ईरान का अपने परमाणु कार्यक्रम पर समझौता करने से इनकार और अमेरिका की कठोर शर्तें थीं। इस असफलता ने यह स्पष्ट कर दिया कि वर्तमान परिस्थितियों में कूटनीति की सीमाएं हैं और दोनों पक्षों के बीच विश्वास की कमी है। इस स्थिति में नाकेबंदी जैसे कठोर कदमों का सहारा लिया गया, जिसने तनाव को और बढ़ा दिया। साथियों बात अगर हम वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव- ऊर्जा संकट और बाजार अस्थिरता इसको समझने की करें तो होर्मुज संकट का सबसे बड़ा प्रभाव वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। तेल की कीमतें अचानक बढ़कर 100 प्रति बैरल से ऊपर चली गईं, जिससे कई देशों की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ गया। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक ने भी वैश्विक विकास दर में गिरावट की चेतावनी दी है। एयरलाइंस और अन्य उद्योगों को बढ़ती लागत का सामना करना पड़ रहा है, जबकि ओपेक बाजार में अस्थिरता बनी हुई है। यह स्थिति दर्शाती है कि एक क्षेत्रीय संघर्ष कैसे वैश्विक आर्थिक संकट में बदल सकता है और यह अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता को भी रेखांकित करता है। साथियों बात अगर हम संभावित भविष्य-युद्ध, कूटनीति या गतिरोध इसको समझने की करें तो वर्तमान स्थिति तीन संभावित दिशाओं में विकसित हो सकती है। पहला, यदि तनाव बढ़ता है, तो यह सैन्य संघर्ष में बदल सकता है, जिसमें अमेरिका और ईरान के बीच सीधा टकराव संभव है। दूसरा, यदि कूटनीतिक प्रयास सफल होते हैं, तो एक समझौता हो सकता है, जिससे स्थिति सामान्य हो सकती है। तीसरा, यह स्थिति लंबे समय तक गतिरोध में भी बदल सकती है, जहां नाकेबंदी जारी रहे लेकिन कोई निर्णायक परिणाम न निकले। इन तीनों संभावनाओं में से कौन-सी वास्तविकता बनेगी, यह आने वाले दिनों में होने वाली घटनाओं पर निर्भर करेगा।

अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि अधूरी जीत और बढ़ती अनिश्चितता होर्मुज में अमेरिकी नाकेबंदी न तो पूरी तरह सफल है और न ही पूरी तरह विफल। यह एक ऐसी स्थिति है, जिसमें सभी पक्ष कुछ हद तक सफल और कुछ हद तक असफल रहे हैं।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार शास्त्री ने वरुण ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, साथ पंचशीला एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार शास्त्री, मो : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2010/...)

यशी पांडेय रही सेक्रेड हार्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल की टॉपर

निचलौल।

बुधवार देर शाम को जारी हुए सीबीएसई बोर्ड के परीक्षा परिणाम में शहर स्थित सेक्रेड हार्ट सीनियर सेकेंडरी की कक्षा दसवीं की छात्रा यशी पांडेय ने सर्वाधिक अंक हासिल कर टॉपर रही।

जबकि निदा रियाज (94) दूसरे और प्रियांशु मौर्या (93) फीसदी अंक हासिल कर तीसरे स्थान पर रहे। वृहस्पतिवार को इन मेधावियों को स्कूल में शिक्षकों की ओर से मिठाई खिलाने के साथ ही सम्मानित किया गया। इस दौरान मेधावी छात्र छात्राओं के चेहरे पर मुस्कान बनी रही।

सेक्रेड हार्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रबंधक जीएन त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया है कि परीक्षा परिणाम में हाई स्कूल की छात्रा यशी पांडेय ने सर्वाधिक (95) फीसदी अंक हासिल कर स्कूल में स्थान हासिल किया है। इसके साथ ही निदा रियाज (94) दूसरे और प्रियांशु मौर्या (93) फीसदी अंक हासिल कर तीसरे स्थान पर रहे। इसी तरह अली हा खान (92) आस्था तिवारी (91) अनन्या पांडेय (90) ऋषिकेश गुप्ता (90) आयुष राज मद्धेशिया (89) हितेश विश्वकर्मा (89) रणवीर सिंह (89) समृद्धि पांडेय (88.2) अखिल गुप्ता (87) प्रीति पटेल (87) आर्या जायसवाल (84) राधिका यादव (84) अंक हासिल कर सफलता हासिल की। इन मेधावियों को मिठाई खिलाने के साथ ही माल्यार्पण कर सम्मान किया गया। इन मेधावियों को प्रबंधक जीएन त्रिपाठी व प्रधानाचार्य ए ब्रिटो ने संयुक्त रूप से बधाई व शुभकामना देते हुए बताया की बच्चो ने सफलता अर्जित कर विद्यालय सहित अपने परिवार व जनपद नाम रोशन किया हैं।

विद्यालय की ओर से इनकी उज्ज्वल भविष्य की कामना हैं। वही विद्यालय के सेक्रेटरी आनंद कुमार त्रिपाठी व कोऑर्डिनेटर प्रदीप कुमार पाण्डेय ने सयुंक्त रूपसे बच्चो को शुभकामनायें प्रेषित करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की हैं। इस अवसर पर विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिका व कर्मचारी उपस्थित रहे।

यात्री व ट्रेन की सुरक्षा प्रथम.....प्रकाश डी

आनंदनगर,महाराजगंज।

ट्रेनों पर पत्थर बाजी व जहर खुरानी बड़ी चुनौती

प्रदेश के 15 सौ ट्रेने व प्लेटफार्म की सुरक्षा का जिम्मा है रेलवे पुलिस का उक्त बातें पुलिस महानिदेशक रेलवे प्रकाश डी ने आनन्दनगर रेलवे स्टेशन व राजकीय रेल पुलिस के थाना का निरीक्षण कर कहा।

दिन मे 1.45 बजे पहुँचे महा निदेशक प्रकाश डी को गार्ड आफ आनर दिया गया। उनके द्वारा लाकप, अभिलेख शास्त्रगार का निरीक्षण करने के बाद प्रेस वार्ता के दौरान बताया गया की अमृत भारत योजना के तहत काफ़ी स्टेशनो का विकास हुआ है उतनी ही जिम्मेदारी राजकीय पुलिस की बढ़ी है। महा निदेशक प्रकाश डी ने बताया की रेल पुलिस का मुख्य उद्देश्य यात्री एवम उनके सफर व सामान की सुरक्षा तथा ट्रेनों की सुरक्षा प्रमुख है उन्होंने बताया की रेल पुलिस के लिये सबसे बड़ी चुनौती ट्रेनों पर पत्थर बाजी व जहर खुरानी है जिससे निपटने के लिये हर ट्रेनों मे स्कोड चलते है उन्होंने बताया की सबसे बड़ी उपलब्धि भूले भटके बच्चो को 2025 मे 2325 को उनके परिजनों से मिलाया गया। महिला सुरक्षा पर मिशन शक्ति फेज फाइव पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने बताया की 75 थाना व 6 अनुभाग प्रयागराज,आगरा, झांसी, लखनऊ,मुरादाबाद गोरखपुर है। उन्होंने बाडी कैमरा को दिखाते हुये बताया की ट्रेन मे अपराध नियंत्रण मे काफ़ी सहायक है उन्होंने एक टेबलेट को भी दिखाया जिसमे 40 हजार अपराधियों का डेटा है। महा निदेशक के साथ पुलिस अधीक्षक रेलवे लक्ष्मी निवास मिश्र,सी ओ गोरखपुर विनोद कुमार सिंह सी ओ बलिया संवि रतन गौतम,थानाध्यक्ष जी आर पी पंकज कुमार यादव व आर पी एफ चौकी प्रभारी विजय तिवारी सहित काफी विभागीय लोग मौजूद रहे। उत्कृष्ट कार्य के लिये कांस्टेबल प्रशान्त कुमार को महा निदेशक ने पुरस्कृत किया जो ऐप के जरिये अभियुक्त गयासुद्दीन को गिरफ्तारी की थी।

बिना अनुमति लगाए जा रहे स्मार्ट मीटरों पर उपभोक्ताओं का विरोध

मुरादाबाद।

जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन

उत्तर प्रदेश बिजली उपभोक्ता संगठन ने स्मार्ट मीटर लगाए जाने की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा।

संगठन का आरोप है कि बिजली विभाग द्वारा उपभोक्ताओं की सहमति के बिना जबरन स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, जो कानून और सरकार के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन है।ज्ञापन में कहा गया कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्री की घोषणा के अनुसार बिना उपभोक्ता की अनुमति स्मार्ट मीटर नहीं लगाए जा सकते, लेकिन इसके बावजूद लोगों को गुमराह कर, दबाव बनाकर और धमकाकर मीटर लगाए जा रहे हैं।

संगठन ने आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर को प्रीपेड में बदल दिए जाने से आम उपभोक्ताओं को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उपभोक्ताओं का कहना है कि बिल जमा करने के बाद भी बिजली आपूर्ति बाधित हो रही है, जिससे लोगों को रोजाना बिजली विभाग के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं और उनका कामकाज प्रभावित हो रहा है। इस स्थिति से शहर में असंतोष बढ़ रहा है। संगठन ने मांग उठाई कि उपभोक्ता की अनुमति के बिना कोई भी स्मार्ट मीटर न लगाया जाए। लगाए गए स्मार्ट मीटरों को प्रीपेड से पोस्टपेड योजना में बदला जाए। बिना सहमति लगाए गए मीटर हटाकर पुराने मीटर बहाल किए जाएं।

उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए स्थानीय स्तर पर प्रभावी व्यवस्था की जाए।संगठन ने जिलाधिकारी से मांग की है कि इन समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं, ताकि आम जनता को राहत मिल सके। इस दौरान अनिल कुमार, अफजल, बाबू, साहिल शमसी, रंजन, इसरार अहमद, उमर आदि मौजूद रहे।

टीएमयू की प्रो. रूचि कांत यूपी स्टेट एलाइड एंड हेल्थकेयर काउंसिल में सदस्य नामित

मुरादाबाद।

तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, मुरादाबाद की झोली में बड़ी उपलब्धि आई है। टीएमयू के कॉलेज ऑफ एलाइड हेल्थ एंड साइंसेज़ में एमएलटी की एचओडी प्रो. रूचि कांत को उत्तर प्रदेश स्टेट एलाइड एंड हेल्थकेयर काउंसिल में मेडिकल लेबोरेट्री एंड लाइफ साइंसेज़ प्रोफेशनल्स की श्रेणी में सदस्य नामित किया गया है। यह काउंसिल नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थकेयर प्रोफेशंस के अंतर्गत संचालित होती है। बतौर मेंबर प्रो. कांत का कार्यकाल दो वर्ष का होगा। टीएमयू की इस सीनियर फैकल्टी की झोली में बायोकेमिस्ट्री टीचिंग का दो दशक से अधिक का अनुभव है। इस नॉमिनेशन पर टीएमयू के कुलाधिपति श्री सुरेश जैन, जीवीसी श्री मनीष जैन और एग्जिक्यूटिव डायरेक्टर श्री अक्षत जैन ने प्रो. कांत को बधाई देते हुए कहा, यह टीएमयू के लिए गर्व की बात है। स्टेट एलाइड एंड हेल्थकेयर काउंसिल ऑफ इंडिया एक स्वायत्त संस्था है, जो स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और मानकों को विनियमित करने के लिए समर्पित है। प्रो. कांत नौ बरस से तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी में कार्यरत हैं, जबकि इससे पूर्व करीब आठ साल इथोपिया में बतौर शिक्षक अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। प्रो. कांत कॉलेज ऑफ एलाइड हेल्थ एंड साइंसेज़ में आईक्यूएसी की कोर्डिनेटर भी हैं। इनके अब तक नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर 32 रिसर्च पेपर्स पब्लिश हो चुके हैं। प्रो. कांत के निर्देशन में सात रिसर्चर्स अपना शोध कार्य कर रहे हैं। यह परिषद स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में संस्थानों को संबद्धता के संग-संग शिक्षा के मानदंड एवम् दिशानिर्देश निर्धारित करती है। काउंसिल का मुख्य उद्देश्य जनता के बीच स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति विश्वास पैदा करना है। इसका विजन ऐसी सुव्यवस्थित स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली स्थापित करना है जो शिक्षा, प्रशिक्षण और नैतिक अभ्यास के उच्चतम मानकों को पूरा करती हो। दूसरी ओर टीएमयू के ही कॉलेज ऑफ एलाइड हेल्थ एंड साइंसेज़ की फैकल्टी श्रीमती शिखा पालीवाल को चैरिटेबल इंस्टिट्यूशंस श्रेणी में सदस्य नामित किया है।

बूथ स्तर तक खड़ा होगा लोक जनशक्ति पार्टी संगठन

मुरादाबाद।

लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पश्चिम उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष पवन कुमार वर्मा के द्वारा एक जूम मीटिंग की गई और संगठन को मजबूती पर बल दिया गया। पश्चिम उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष पवन कुमार वर्मा ने कहा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के हर जिले में प्रदेश अध्यक्ष का दौरा होगा। साथ ही उत्तर प्रदेश के प्रभारी अरुण भारती सांसद का भी दौरा होगा और प्रदेश पदाधिकारी जिला अध्यक्ष महानगर अध्यक्ष आदि सभी पदाधिकारी मिलकर बूथ लेवल तक संगठन को मजबूत बनाएं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2027 की सभी सीटों पर लड़ने का फरमान सुनाया है जिससे संगठन को अधिक मजबूत करना होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष के हाथों को मजबूत करना होगा इस मीटिंग में पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रदेश पदाधिकारी जिला अध्यक्ष महानगर अध्यक्ष ने भाग लिया।

बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए ज़रूरी: शिक्षक, छात्र व अभिभावक निभाएं अपनी-अपनी ज़िम्मेदारी

फतेहपुर।

जीआईसी में हुई शिक्षक-अभिभावक संघ की बैठक

पीएमश्री राजकीय इंटर कॉलेज फतेहपुर में शिक्षक-अभिभावक संघ की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षक, छात्र व अभिभावक की ज़िम्मेदारी को ज़रूरी बताया गया। साथ ही शिकायत और सुझावों का स्वागत करते हुए समाधान के लिए अभिभावकों को आश्वास्त किया गया। गुरूवार को आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए शिक्षक सुनील सिंह ने कहा कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए ज़रूरी है कि शिक्षक, छात्र व अभिभावक सभी अपनी-अपनी ज़िम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ निभाएं। उन्होंने कहा कि बच्चों के अन्दर जो प्रतिभा होती है, उसे निखारने के लिए अभिभावकों का जागरुक होना अति आवश्यक है। क्योंकि छात्र 6 घन्टें स्कूल में रहता है और 18 घन्टें घर पर रहता है। इसलिए उसकी गतिविधियों को गौर करना और सुधार के लिए कदम उठाना अभिभावक की पहली प्राथमिकता में होना चाहिए। उन्होंने वादा किया कि कॉजेल स्टाफ पूरी लगन के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा है। साथ ही अभिभावकों की शिकायतों और सुझावों को गम्भीरता से लेकर समाधान का भी पूरा प्रयास करता है। पूर्व में अभिभावकों द्वारा जो सुझाव दिये गये, उन सुझावों पर अमल कर सुधार के लिए अभिभावकों को आवश्स्त किया गया।

बैठक में मौजूद सेवानिवृत्त शिक्षक रामभवन चौधरी के योगदान को स्टाफ व अभिभावकों ने मिलकर सराहा और छात्रों के हित में उनकी सेवा आगे भी लेते रहने के लिए अपनी सहमति व्यक्त की। बैठक में अभिभावकों के अलावा शिक्षकों में अनिल यादव, सोनम अग्रवाल, प्रतिक्षा द्विवेदी, शीलू शुक्ला, चन्द्रभान सिंह, डॉ0 मो0 शाहिद खान, विजय कुमार, मो0 आफताब, धनराज पाल, अवधेश कुमार, सोहन श्रीवास्तव आदि शिक्षक मौजूद रहे।

मेडिकल कालेज में अग्निशमन सुरक्षा ड्रिल का हुआ आयोजन

बहराइच। स्थानीय मेडिकल कॉलेज में आग लगने की स्थिति व बचाव एवं नियंत्रण की तैयारियों का आकलन करने के उद्देश्य से अग्नि शमन सुरक्षा ड्रिल व प्रशिक्षण का आयोजन किया गया।अग्नि शमन सुरक्षा विभाग से पुलकित चौधरी प्रभारी अधिकारी व अन्य अधिकारी व कर्मचारियों द्वारा प्रशिक्षण दिया गया।इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य वास्तविक आपदा की स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता को परखना एवं चिकित्सक, कर्मचारियों व विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना था, जिसमें विद्यार्थियों व कर्मियों ने सफल प्रदर्शन किया।इस अवसर पर प्राचार्य, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, नर्सिंग कॉलेज प्रधानचार्य व अन्य संकाय सदस्य,नोडल अधिकारी,अस्पताल प्रबंधक रिज़वान सहित अन्य कर्मचारी भी उपस्थित रहे।प्राचार्य ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसी मॉक ड्रिल समय-समय पर होते रहना अत्यंत आवश्यक है ताकि आपदा की स्थिति में किसी प्रकार की जान-माल की हानि न हो। चिकित्सा महाविद्यालय प्रशासन ने भविष्य में भी इस प्रकार के मॉक ड्रिल जारी रखने का संकल्प लिया। मॉक ड्रिल के माध्यम से मेडिकल कॉलेज बहराइच ने यह संदेश दिया कि वह हर आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है।

मजबूत और विकसित भारत का निर्माण केवल देश की मूल भाषाओं की नींव पर ही किया जा सकता है - द्रौपदी मुर्मू

नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बृहस्पतिवार को कहा कि मजबूत, आत्मनिर्भर और विकसित भारत का निर्माण केवल देश की मूल भाषाओं की नींव पर ही किया जा सकता है। मुर्मू ने कहा कि भारत की सभी विविध भाषाओं में संस्कृति, संवेदनशीलता और चेतना की एक ही धारा बहती है। उन्होंने लोगों से अपनी मातृभाषा के अलावा कम से कम एक भारतीय भाषा सीखने की अपील की। राष्ट्रपति महाराष्ट्र के वर्धा में महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के छठे दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा, वर्ष 1936 में यहीं वर्धा में, महात्मा गांधी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आचार्य काका कालेलकर के साथ मिलकर हिंदी भाषा को बढ़ावा देने एवं उसका प्रचार-प्रसार करने के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना की थी। उल्लेखनीय है कि महात्मा गांधी की मातृभाषा गुजराती थी, नेताजी की मातृभाषा बांग्ला और काकासाहेब की मातृभाषा मराठी थी। राष्ट्रपति ने कहा, इन महान आत्माओं ने देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता के माध्यम के रूप में हिंदी की शक्ति को पहचाना एवं इसका उपयोग किया। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, हिंदी ने देश भर के लोगों को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा का आह्वान हिंदी में किया था। उन्होंने विश्वविद्यालय के नाम की सराहना करते हुए कहा कि राष्ट्रपिता के नाम पर इसका नाम रखना पूरी तरह से इतिहास के अनुरूप है। उन्होंने कहा, भारत की आत्मा भारतीय भाषाओं में अभिव्यक्ति पाती है तथा हमारी सभी विविध भारतीय भाषाओं में संस्कृति, संवेदनशीलता और चेतना की एक ही धारा बहती है। राष्ट्रपति ने कहा, यही कारण है कि मैं या मेरे जैसे अन्य ओड़िया भाषी, हिंदी में मुंशी प्रेमचंद की कहानियों या महादेवी वर्मा की कविताओं के ओड़िया अनुवाद पढ़ते समय उनसे सहजता से जुड़ सकते हैं। इसी तरह, हिंदी पाठक, फकीर मोहन सेनापति, गोपीनाथ मोहंती और प्रतिभा रे जैसे ओड़िया साहित्यकारों से जुड़ते हैं। बांग्ला और संस्कृत के मिश्रण से बना हमारा राष्ट्र गीत वंदे मातरम सभी भारतीयों की भावनाओं को एक सूत्र में बांधता है। उन्होंने विद्यार्थियों से भारत की विरासत और इसकी भाषाओं पर गर्व करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, मैं अक्सर एक लोकप्रिय ओड़िया कविता की एक पंक्ति उद्धृत करती हूं और मुझे वह आज भी प्रासंगिक लगती है - जितनी अधिक भाषाएं सीख सकते हैं सीखें, लेकिन अपनी मातृभाषा का सम्मान करें। मुर्मू ने कहा, सभी भारतीय भाषाएं हमारी अपनी हैं। प्रत्येक भारतीय को अपनी स्थानीय भाषा के अलावा कम से कम एक और भारतीय भाषा सीखनी चाहिए।

देश में लागू हुआ महिला आरक्षण कानून, संसद में बहस के बीच सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन

नई दिल्ली।

महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण देने वाला महिला आरक्षण अधिनियम, 2023 गुरुवार से लागू हो गया है। केंद्रीय कानून मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार यह कानून 16 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो गया है हालांकि, यह साफ नहीं है कि जब संसद में इस कानून पर चर्चा चल ही रही है तो फिर इसे आज से ही लागू क्यों

संसद का विशेष सत्र बुलाकर महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा चल रही है। अभी चर्चा के लिए कल का भी दिन बचा है, लेकिन सरकार ने गुरुवार को ही नोटिफिकेशन जारी महिला आरक्षण कानून को लागू कर दिया है।

किया गया है। अधिसूचना में कहा गया है कि संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम, 2023 की धारा 1(2) के तहत केंद्र सरकार ने 16 अप्रैल 2026 को इस कानून के लागू होने की तिथि निर्धारित की है।

सितंबर 2023 में संसद ने दी थी मंजूरी

सितंबर 2023 में संसद ने %नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था, जिसे महिला आरक्षण कानून के नाम से जाना जाता है। इसे विधायिकाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में अहम कदम माना गया था। इस कानून के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है।

2029 तक नहीं मिल सकेगा आरक्षण का फायदा

हालांकि, 2023 के इस कानून के अनुसार आरक्षण का फायदा 2029 से पहले नहीं मिल सकेगा, क्योंकि इसे 2027 की जनगणना के बाद होने वाली परिसीमन प्रक्रिया से जोड़ा गया है। वर्तमान में लोकसभा में जिन तीन विधेयकों पर चर्चा चल रही है, उनका उद्देश्य महिला आरक्षण को 2029 से लागू करना है। अधिकारियों के मुताबिक, कानून लागू हो जाने के बावजूद मौजूदा लोकसभा में यह आरक्षण लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके लिए अगली जनगणना के आधार पर परिसीमन प्रक्रिया पूरी होना जरूरी है।

ममता बनर्जी के आरोप से हड़कंप- कहा- बीजेपी बंगाल में चुनावों के दौरान बम लगाने की ताक में, एनआईए जांच पर भी बोलीं

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजनीति में उस समय हलचल मच गई जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर गंभीर आरोप लगाए। कूचबिहार के दिनहाटा में आयोजित एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया कि चुनाव के दौरान माहौल खराब करने की साजिश रची जा रही है। ममता बनर्जी ने अपने भाषण में कहा कि भाजपा चुनाव के समय राज्य में अशांति फैलाने के लिए बम लगाने की योजना बना रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सब चुनावी माहौल को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है, ताकि मतदाताओं में डर पैदा हो सके। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक उद्देश्य से किया जा रहा है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान एनआईए को लाकर माहौल को और तनावपूर्ण बनाया जा सकता है।

दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला

स्पाइसजेट और अकासा एयर के विमानों के पंख आपस में टकराए; सभी यात्री सुरक्षित

नई दिल्ली। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बुधवार को एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया, जब टैक्सीइंग के दौरान स्पाइसजेट का एक विमान अकासा एयर के विमान से टकरा गया। इस घटना में दोनों विमानों को नुकसान पहुंचा, हालांकि राहत की बात यह रही कि सभी यात्री और क्रू पूरी तरह सुरक्षित है। जानकारी के अनुसार, स्पाइसजेट का B737-700 विमान रनवे की ओर बढ़ रहा था, तभी उसका दाहिना विंगलेट दूसरे विमान से टकरा गया। इस टक्कर से दूसरे विमान के लेफ्ट हैंड हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर को भी नुकसान हुआ। फिलहाल तकनीकी जांच जारी है और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। 16 अप्रैल 2026 को दिल्ली से हैदराबाद जा रही अकासा एयर की उड़ान QP 1406 को तकनीकी और परिचालन कारणों से वापस बे पर लौटना पड़ा। शुरुआती जानकारी के अनुसार, जब अकासा एयर का विमान खड़ा था, उसी समय किसी अन्य एयरलाइन के विमान ने उससे संपर्क (टक्कर जैसी स्थिति) कर ली। अकासा एयरलाइन की ओर से बताया गया है कि सभी यात्री और चालक दल पूरी तरह सुरक्षित है और उन्हें समय पर विमान से उतार लिया गया। अकासा एयर ने यह भी कहा है कि उनके ग्राउंड स्टाफ यात्रियों को जल्द से जल्द हैदराबाद पहुंचाने के लिए वैकल्पिक उड़ान की व्यवस्था कर रहे हैं।

मल्लिकार्जुन खरगे का केंद्र पर बड़ा हमला, दोषपूर्ण परिसीमन विधेयक लोकतंत्र पर कुटिल हमला

नई दिल्ली। लोकसभा में संवैधानिक संशोधन विधेयक पेश किए जाने के बाद, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने गुरुवार को कहा कि विपक्ष महिला आरक्षण के नाम पर पेश किए गए परिसीमन विधेयक का एकजुट होकर विरोध कर रहा है। खरगे ने X पर पोस्ट किया कि विपक्ष संसद को महिला आरक्षण के नाम पर पेश किए गए दोषपूर्ण परिसीमन विधेयकों के प्रभाव में नहीं आने देगा। हम एकजुट हैं और अपने लोकतंत्र पर इस कुटिल हमले का पूरी ताकत से मुकाबला करेंगे। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को लागू करने वाले संशोधन विधेयक आज लोकसभा में पेश किए गए, जबकि विपक्ष ने ध्वनि मत के बजाय तीन विधेयक पेश करने के कदम के खिलाफ विभाजन की मांग की।

सरकार ने बृहस्पतिवार को लोकसभा में विपक्ष के विरोध के बीच महिला आरक्षण अधिनियम में संशोधन और परिसीमन से संबंधित तीन विधेयकों को पेश किया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 'संविधान (131वां) संशोधन विधेयक 2026' और 'परिसीमन विधेयक, 2026' पेश

किए, वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संघ राज्य विधि (संशोधन) विधेयक, 2026' पेश किया। 'संविधान (131वां) संशोधन विधेयक 2026' पेश करने के प्रस्ताव के पक्ष में 251 वोट और विरोध में 185 वोट पड़े। इससे पहले कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, द्रमुक और अन्य विपक्षी दलों के नेताओं ने विधेयकों को 'असंवैधानिक' करार देते हुए इन्हें पेश करने के समय पर सवाल खड़े किए। कांग्रेस के के.सी. वेणुगोपाल ने तीनों विधेयकों को भारत के संघीय ढांचे पर हमला बताते हुए कहा कि वास्तव में विधेयक इस समय लाने का क्या मकसद है। उन्होंने कहा कि संसद के दोनों सदनों ने सर्वसम्मति से 2023 में ही महिला आरक्षण विधेयक पारित कर दिया था तो सरकार ने उसी समय इसे लागू क्यों नहीं किया? वेणुगोपाल ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आप 2029 के लोकसभा चुनाव को लेकर डरे हुए हैं। आप असंवैधानिक विधेयक ला रहे हैं। इन्हें वापस लिया जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी (सपा) के अखिलेश यादव ने सवाल किया कि सरकार को इन विधेयकों को लाने की इतनी जल्दबाजी क्यों है? सपा के धर्मेंद्र यादव ने तीनों विधेयकों का विरोध करते हुए कहा कि मैं संवैधानिक आधार पर इनका पुरजोर विरोध करता हूं।

मतदान से दो दिन पहले भी नाम जुड़ा तो मिलेगा वोटिंग का अधिकार

बंगाल एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश

नई दिल्ली।

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव पूर्व हुए मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण कार्यके मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि यदि ट्रिब्यूनल नाम जोड़ने या हटाने का अंतिम आदेश मतदान से दो दिन पहले दे देता है, तो उसका वोटिंग पर असर होगा. मतलब कि मतदान से दो दिन पहले ट्रिब्यूनल किसी वोटर का नाम जोड़ने का आदेश दे देता है तो उसे वोटिंग का अधिकार मिलेगा. अदालत ने बताया कि बंगाल एसआईआर मामले में अनुच्छेद 142 के तहत विशेष शक्तियों का इस्तेमाल किया. कोर्ट ने कहा अगर अपीलेट ट्रिब्यूनल अपील

स्वीकार कर लेता है, और नाम जोड़ने या हटाने का अंतिम आदेश देता है, तो उसे मतदान से पहले लागू करना होगा.

सुप्रीम कोर्ट ने ECI को निर्देश किया कि अगर अपीलों का फैसला बंगाल में होने वाले पहले चरण के विधानसभा चुनाव के पहले 21.04.2026 तक हो जाता है तो सप्लीमेंट्री रिवाइज्ड मतदाता रोल जारी करना होगा. दूसरे चरण के मतदान के लिए यह डेडलाइन 27 अप्रैल तय की गई है. मालूम हो कि पश्चिम बंगाल में पहले चरण में 23 अप्रैल को मतदान होना है, जबकि दूसरे चरण की वोटिंग 29 अप्रैल को होगी. कोर्ट के आदेश के अनुसार वोटिंग से दो दिन पहले भी यदि ट्रिब्यूनल अपील स्वीकार कर लेता है, और नाम जोड़ने या हटाने का अंतिम आदेश देता है, तो उसे मतदान से पहले लागू करना होगा. सुप्रीम कोर्ट के आदेश से यह साफ है कि जिन लोगों के नाम जुड़े है, उन्हें वोट देने का अधिकार मिलेगा. अगर हटते है तो वे वोट नहीं दे पाएंगे.

अपील लंबित होने से वोटिंग का अधिकार नहीं मिलेगा

सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि सिर्फ अपील लंबित होने से वोट देने का अधिकार नहीं मिलेगा. कोर्ट की दलील है कि अगर लंबित अपील वाले लोगों को वोट देने दिया गया तो आपत्ति करने वाले भी दूसरों के वोटिंग अधिकार रोकने की मांग कर सकते हैं.

कोर्ट का आदेश आज वेबसाइट पर हुआ अपलोड

इससे पूरी चुनाव प्रक्रिया में अव्यवस्था और विवाद पैदा होगा. फाइनल निर्णय ही मान्य होगा, पेंडिंग मामलों को आधार नहीं बनाया जाएगा. बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश सुनवाई के तीन दिन बाद अपलोड हुआ है. मालूम हो कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तीन दिन पहले फैसला सुनाया था, अब अदालत का आदेश वेबसाइट पर ऑनलाइन अपडेट किया गया.

समय पर पुलिस भर्ती, ट्रेनिंग व सुविधाओं से बना सुरक्षा का बेहतर माहौल- सीएम योगी

गोरखपुर।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वर्ष 2017 के बाद पुलिस विभाग में समय पर भर्ती, समय पर ट्रेनिंग और अवस्थापना सुविधाओं के विकास से पुलिसकर्मियों के कार्य को गति बढ़ी है। इसी का परिणाम है कि प्रदेश में सुरक्षा का बेहतर माहौल बना और सुशासन का बेहतरीन मॉडल खड़ा हुआ। योगी गुरुवार सुबह गोरखनाथ मंदिर क्षेत्र की सुरक्षा के लिए बने दो आधुनिक सुरक्षा भवनों के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। इन भवनों में मंदिर सुरक्षा से जुड़े अपर पुलिस अधीक्षक व पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय, कंट्रोल रूम, पुलिस स्टोर रूम और मेंटिनेंस वर्कशॉप बनाई गई है।

इसके निर्माण पर 9.18 करोड़ रुपये से अधिक की लागत आई है। मुख्यमंत्री ने सुरक्षा भवनों में उपलब्ध सुविधाओं का अवलोकन भी किया। इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरक्षा, सुशासन की पहली शर्त होती है। हर

व्यक्ति को सुरक्षा चाहिए। इसके लिए सरकार के स्तर पर प्रयास किए जाते हैं।

पर, हम उसका एक ही पक्ष देख पाते थे। पुलिस का सामान्य सिपाही हो या सब इंस्पेक्टर व डिप्टी एसपी, यदि उसकी ट्रेनिंग नहीं है तो वह भी एक कॉमन मैन (सामान्य व्यक्ति) ही होगा। पहले की सरकारों में भर्ती, ट्रेनिंग और अवस्थापना सुविधाओं पर ध्यान नहीं दिया जाता था। इसका परिणाम यह होता था कि बहुत से नौजवान पुलिस भर्ती में नहीं आना चाहते थे। मुख्यमंत्री ने पुलिस महकमे में वर्ष 2017 के बाद आए बदलाव की चर्चा करते हुए कहा कि 9 साल पहले जब उनकी सरकार आई तो उस समय पुलिस बल में आधे से अधिक पद खाली थे। बीते 9 वर्षों में 2 लाख 19 हजार से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया गया है। 2017 में पुलिस की ट्रेनिंग क्षमता एक समय में 3 हजार से अधिक नहीं थी, जबकि वर्तमान में अवस्थापना सुविधाओं के विकास का परिणाम है कि अब एक समय में 60 हजार पुलिस कार्मिकों की ट्रेनिंग करवाई जाती है। समय पर लिए गए निर्णय, और समय पर दिए गए संसाधनों के परिणामस्वरूप पुलिस को 200 गुना अधिक सुविधाओं से सम्पन्न किया गया है। योगी ने कहा कि पहले थाना हो, चौकी हो, पुलिस लाइन हो या पीएसी वाहिनी, कहीं भी पुलिसकर्मियों के लिए अच्छे आवासीय सुविधा और अच्छे बैरक नहीं थे। पुलिसकर्मी किराए पर रहकर जैसे-तैसे जीवन व्यतीत करता था। कई बार शिकायत आती थी कि पुलिस वाले ने घर पर कब्जा कर लिया है। वह कब्जा नहीं करता था। होता यह था कि उसके बच्चे की परीक्षा है और उसी समय मकान मालिक घर खाली करने को कह देता। इस पर वह झल्ला कर कहता, घर नहीं खाली करेंगे। आज ये सारी शिकायतें समाप्त हो गई हैं, क्योंकि सरकार ने हर पुलिस लाइन में आवासीय सुविधा दी है, बैरक बनवाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले पुलिस थाने का भवन बनता था, लेकिन उसमें बैरक नहीं बनते थे। अन्य सुविधाएं भी नहीं उपलब्ध हो पाती थीं। बहुत बार पुलिस किसी अपराधी को पकड़कर लाती थी तो उसे रखने की व्यवस्था नहीं होती थी।

पीएम ने परिसीमन पर दक्षिण भारत के हर राज्य का दूर किया भ्रम, कहा- किसी के साथ नहीं होगा भेदभाव

नई दिल्ली। संसद के विशेष सत्र में आज महिला आरक्षण कानून से जुड़े तीन अहम संशोधन विधेयक पेश किया गया। इन प्रस्तावों के तहत वर्ष 2029 से लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ संसद में सीटों की संख्या को भी बढ़ाया जाना है। पीएम मोदी इस दौरान सदन में बोलते हुए सभी राज्यों को भरोसा दिलाया कि किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी एक्टिविस्ट, संविधान के जानकारों से बात हुई। यहां बैठकर हमारे संविधान ने किसी को टुकड़ों में सोचने का अधिकार ही नहीं दिया। एक राष्ट्र के रूप में विचार करना हमारा दायित्व है। चाहे कश्मीर हो या कन्याकुमारी, हम एक साथ सोच सकते हैं एक साथ निर्णय कर सकते हैं। सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने

के लिए बवंडर खड़ा किया जा रहा है। मैं इस सदन से कहना चाहता हूं कि चाहे दक्षिण हो, उत्तर हो, छोटे राज्य हों या बड़े राज्य हों, परिसीमन प्रक्रिया किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगी। पीएम मोदी ने सभी दलों को भरोसा देते हुए कहा, यह निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ अन्याय नहीं करेगी। जिनके कालखंड में जो परिसीमन हुआ, वह अनुपात उनके समय से चला आ रहा है, उस अनुपात

महिला आरक्षण बिल

में भी कोई बदलाव नहीं होगा। अगर गारंटी कहिए तो मैं गारंटी देता हूं वादा की बात करें तो वादा करता हूं। जब नीयत साफ है तो हमें शब्दों का खेल करने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम भ्रम में न रहें, हम उस अहंकार में न रहें कि हम देश की नारी शक्ति को कुछ दे रहे हैं। जी नहीं। यह उसका हक है। हमने कई दशकों से उसे रोका है। आज उसका प्रायश्चित कर के उस पाप से मुक्ति पाने का यह मौका है। पीएम मोदी ने सभी दलों से अपील करते हुए कहा कि मैं इतना ही कहूंगा कि इसको राजनीति के तराजू से न तौलें। हम जब भी कुछ निर्णय लेते हैं उसका आधा जिम्मा जो उठा रहे हैं, उनका भी कुछ हक बनता है। संख्या के संबंध में भी पहले कहते थे कि जो संख्या थी, उसे बढ़ाने की बात ही चलती थी।

प्रियंका गांधी ने कहा- बहकाने वाले पुरुषों को महिलाएं पहचान लेती हैं

नई दिल्ली।

प्रियंका गांधी ने कहा, पीएम के खोखले आश्वासनों के बावजूद संसद में राज्यों की मौजूदगी बदल जाएगी। जिस तरह असम में उन्होंने मनचाही सीटों को काटा, नई सीमाएं बनाएं उसी तरह यह देश में करेंगे।- परिसीमन आयोग में सरकार द्वारा चुने गए तीन लोग देश के लोकतंत्र को खत्म करेंगे। अगर ये बिल पास होता है देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। मौजूदा सरकार जनता की आंखों में धूल झोंक रही है। ये ओबीसी वर्ग का हक छीन रहे हैं, ताकि कुछ प्रदेशों की ताकत कम किया जा सके। शाह जी हंस रहे हैं, पूरी प्लानिंग बना रखी है। चाणक्य आज जिंदा होते तो वो भी चौंक जाते। अचानक प्रदेशों में चुनाव के दौरान सदन की बैठक बुलाओ। प्रारूप सिर्फ एक दिन पहले सार्वजनिक

करो। मीडिया में चर्चा कराओ कि मोदी जी महिला उत्थान के लिए बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। सबको इनका साथ देना चाहिए। ये करके विपक्ष को धर्मसंकट में डाल दो। एक तरफ महिला आरक्षण दूसरी तरफ काट-छाट की आजादी। राजनीति में कुटिल होना अपनी जगह है लेकिन सत्ता बनाए रखने की महत्वाकांक्षाओं बनाए रखने के लिए देश में सही फैसले लेने चाहिए। पीएम पर बहुत दबाव है इंटरनेशनल प्रेशर है। इसलिए उन्होंने महिला आरक्षण मुद्दा उठाया। प्रियंका गांधी ने कहा कि वे कह रहे हैं कि उन्हें इसका श्रेय नहीं चाहिए। बार-बार बहकाने वाले पुरुषों को महिलाएं पहचान लेती हैं। सावधान हो जाइए नहीं तो पकड़े जाएंगे। 2023 में मोदी सरकार ने जब यह बिल पास किया तो हमने उसका समर्थन किया। आज भी उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि कांग्रेस इसका समर्थन नहीं करेगी। हम डटकर खड़े हैं। आज की चर्चा महिला आरक्षण पर नहीं है। मैंने इसका प्रारूप पढ़ा है। सबसे पहले इसमें लिखा है कि महिला आरक्षण 2029 तक लागू हो, हम सहमत हैं। दूसरा है कि सीटों की संख्या 850 तक बढ़ाई जाएगी। इसके लिए परिसीमन आयोग बनाया जाएगा जो 2011 की जनगणना को आधार बनाएगा। प्रियंका गांधी ने कहा, सबसे पहले इसमें लिखा है कि महिला आरक्षण 2029 तक लागू हो, हम सहमत हैं। दूसरा है कि सीटों की संख्या 850 तक बढ़ाई जाएगी। इसके लिए परिसीमन आयोग बनाया जाएगा जो 2011 की जनगणना को आधार बनाएगा। इसकी गहराई में जाएं तो इसमें राजनीति की बू घुली हुई है। 2023 के बिल में दो चीजें थी जो इसमें नहीं है। उसमें लिखा था कि नई जनगणना कराई जाएगी। प्रियंका गांधी ने कहा, अब क्यों मन बदल गया, इतनी जल्दबाजी क्यों। आज पीएम महोदय ने भले हल्के में बोल दिया कि इस वर्ग उस वर्ग को बाद में देख लेंगे। कौन सा वर्ग पिछड़ा वर्ग। हम इनकी मांग कर रहे हैं इन्हें अपना हक मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि पीएम किस बात से घबरा रहे हैं। इस बात से न कि जब नई जनगणना होगी तो ओबीसी के नए आंकड़े निकलेंगे तो पता चलेगा कि यह वर्ग कितना मजबूत है। 2011 की जनगणना को परिसीमन का आधार बनाकर मोदी जी उनका हक छीनना चाहते हैं, कांग्रेस यह होने नहीं देगी। इस बिल में और भी कमी है कि संसद में 50% विस्तार का प्रस्ताव है लेकिन इस परिवर्तन के नियम क्या होंगे उसके बारे में कोई डिटेल नहीं है।